मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/यो./गै.त./ह.तु./37/16–17/79 भोपाल,दिनांक 22/02/2017

प्रति,

अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय–भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा.

विषयः– समग्र छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन– हम्माल तुलावटी छात्रवृत्ति योजना के वितरण की प्रस्तावित नवीन व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, पत्र क्र./समग्र/वन क्लिक/45/2017/69 दि.19.01.17

---: 0 :---

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के पुत्र/पुत्रियों हेतु मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना (संशोधित वर्ष 2014) अतंर्गत प्रदत्त छात्रवृत्ति सहायता का लाभ वर्ष 2017–18से नवीन व्यवस्था अनुसार वन–क्लिक के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय को छात्रवृति की राशि आवंटन अनुसार उनके द्वारा छात्रवृति की राशि वितरित की जावेगी।

अतएव अपने अधीनस्थ सभी मण्डी समितियों के सचिवों को निर्देशित किया जावे कि वर्ष 2016–17 के शेष अवधि में हम्माल एवं तुलावटी के पुत्र/पुत्रियों की छात्रवृति हेतु संकुल प्राचार्यों द्वारा पोर्टल पर स्वीकृत छात्रवृत्ति की योजनावार, जिलेवार स्वीकृत संख्या व सूची एवं विद्यार्थियों के बैंक खातों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर स्वीकृति का आवश्यकतानुसार परीक्षण कर सीधे संबंधित हितग्राही छात्र के खाते में छात्रवृत्ति राशि अंतरित करने एवं छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करावें।

संलग्नः– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क्र./बोर्ड/यो./गै.त./ह.तु./37/16–17/80 भोपाल,दिनांक 22/02/2017

प्रतिलिपिः–

आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, गौतमनगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 0755–2600115
वेबसाइट www.shiksha.samagra.gov.in ई–मेल sscholarship.dpi@gmail.com

क/समग्र/वन क्लिक/45/2017/69 भोपाल दिनांक 19/01/2017

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, भोपाल।

विषयः–समग्र छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन– हम्माल तुलावटी छात्रवृत्ति योजना के वितरण की प्रस्तावित नवीन व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः–1. म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का पत्र क/बोर्ड/यो/गै.त/ह.तु/37/16–17/4155 दिनांक 04.10.16 एवं ई–मेल के माध्यम से प्राप्त जानकारी दिनांक 20.10.16

2. संचालनालय का पत्र क/समग्र/वन–क्लिक/45/2016/508 दि 28.10.16

समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 की छात्रवृत्तियों की राशि वन–क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरित किए जाने की प्रकिया प्रारम्भ की गई।

कार्यालय म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक 04.10.16 द्वारा समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण की प्रस्तावित नवीन व्यवस्था अनुसार मंडी बोर्ड की ओर से छात्रवृत्ति राशि निर्धारित बैंक खाते में ट्रॉसफर करने की सहमति प्रदान की गई है। कार्यालय म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के ई–मेल के माध्यम से प्राप्त जानकारी में अवगत कराया गया था कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1479 हितग्राहियों को राशि रू. 16,02,715 मंडी समितियों द्वारा वितरित की जा चुकी है। अतः संचालनालय के संदर्भित पत्र द्वारा छात्रवृत्ति योजना के वितरण की प्रस्तावित नवीन व्यवस्था की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए लेख किया गया था कि चुंकि आपके विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 की छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई प्रचलन में है। अतः नवीन व्यवस्था अनुसार वन--क्लिक के माध्यम से वर्ष 2016–17 हेतु मंडी बोर्ड की छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि वितरण किया जाना संभव नही है।

अतः आपके विभाग के जिला अधिकारियों को, वर्ष 2016–17 की संकुल प्राचार्यो द्वारा पोर्टल पर स्वीकृत छात्रवृत्ति की योजनावार,जिलेवार स्वीकृत संख्या व सूची एवं विद्यार्थियों के बैंक खातों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर स्वीकृति का आवश्यकतानुसार परीक्षण कर सीधे संबंधित हितग्रही छात्र के खाते मे छात्रवृत्ति राशि अंतरित करने एवं छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।

(नीरज दुबे)
आयुक्त,
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्र. /समग्र/वन क्लिक/45/2017/70 भोपाल दिनांक 19/01/2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. सचिव,म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं समस्त समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र

159
25-1-17

11
27/01/17